उत्तराखंड में बिजली, पानी और परिवहन में राहत की घोषणा

drishtiias.com/hindi/printpdf/announcement-of-relief-in-electricity,-water-and-transport

चर्चा में क्यों?

26 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने **राज्य में बिजली, पानी और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में राहत** की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को 3 माह हेतु छूट प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 2,24,604 लोग लाभान्वित होंगे, इसी तरह **विद्युत बिलों के विलंब भुगतान अधिभार पर 3 माह के लिये छूट** प्रदान की जाएगी।
- **परिवहन विभाग के अंतर्गत सेवा कर में 6 माह के लिये छूट** दी जाएगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 96,380 है। पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण पर विलंब शुल्क पर 6 माह के लिये छूट प्रदान की जाएगी।
- **शहरी विकास विभाग** के अंतर्गत **पर्यावरण मित्रों** को 2000 रुपए की प्रोत्साहन धनराशि 5 माह तक प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 8,300 पर्यावरण मित्र लाभान्वित होंगे।
- **प्रधानमंत्री स्वनिधि में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को 5 माह तक 2-2 हज़ार रुपए** की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 25,000 है।
- पेयजल विभाग के अंतर्गत राज्य के समस्त जल/सीवर उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसंबर, 2021 तक अवशेष देयों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलंब शुल्क की राशि शत-प्रतिशत माफ की जाएगी।